UPUN010025782026

न्यायालय Addl. District Judge Court No. 12, Unnao

पीठासीन अधिकारी– (Shailendra Singh Yadav)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP**02730

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1169/2026

अदनान पुत्र जाहिद अली,
निवासी मोहल्ला मसवासी कस्बा व थाना पुरवा, जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 सरकार जरिये डी.जी.सी. क्रिमि0 उन्नाव आदि

.....विपक्षीगण

मु0अ0सं0–104/2026
धारा–75(2), 65(2) बी0एन0एस0
व धारा 5(एम)/6 पाक्सो ऐक्ट
थाना पुरवा, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

22.05.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **अभियुक्त अदनान** द्वारा मु0अ0सं0–104/2026, धारा–75(2), 65(2) बी0एन0एस0 व धारा– 5(एम)/6 पाक्सो ऐक्ट, थाना पुरवा, जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी हिना द्वारा थाना प्रभारी महोदय कोतवाली पुरवा, जिला–उन्नाव को इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 21.04.2026 को प्रार्थिनी अपने पति के साथ छोटे पुत्र का उपचार करवाने प्रसाद हास्पिटल बन्थरा गयी हुई थी घर पर पीड़िता एक्स उम्र 8 वर्ष, जो दिनांक 22.04.2026 को वादिनी घर वापस आयी तो पीड़िता एक्स ने बताया कि घर के सामने का अदनान पुत्र जाहिद अली ने गन्दी नियत से मेरे गाल नोच कर सीने पर हाथ फेर रहा था। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

वादिनी की उक्त तहरीर पर थाना पुरवा, जिला उन्नाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–75(2) बी0एन0एस0 व धारा 9/10 पॉक्सों ऐक्ट, मु0अ0सं0–104/2026 थाना पुरवा, जिला उन्नाव में अभियुक्त अदनान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा– 65(2) बी0एन0एस0 व धारा 5(एम)/6 पाक्सो ऐक्ट की बढ़ोत्तरी एवं धारा 9/10 पॉक्सों ऐक्ट घटोत्तरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क दिया है कि प्रार्थी निर्दोष है। मुकदमा हाजा में गांव की रंजिश के कारण फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और न ही घटना को किसी व्यक्ति ने देखा है। प्रार्थी को गांव की पार्टीबन्दी के कारण फर्जी अपराध में फंसाया गया है।

Digitally signed by SHAILENDRA SINGH YADAV
Date: 2026.05.22 16:53:35 IST
Reason: Document Owner
Location: A.D.J. Court no. 12/Pcos

प्रार्थी का कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही घटना से कोई वास्ता व सरोकार है। वादिनी ने पीड़िता से फर्जी मेरा नाम कहलवाया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त की ओर से शबनम बानो का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध विशेष लोक अभियोजक द्वारा करते हुये यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री/पीड़िता उम्र 8 वर्ष से कम के साथ बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कारित किये जाने का अभियोग है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

वादिनी को नोटिस तामील जरिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। जमानत का घोर विरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, बाल कल्याण समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनेल अधिवक्ता, अभियुक्त व वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत **धारा 180 बीएनएसएस** में कथित किया है कि मैं मसवानी मोहल्ले में रहती हूॅ। मेरी उम्र 8 साल है। मैं कक्षा 02 में पढ़ती हूॅ, शाम को अदनान भाई मेरे घर आये थे घर पर मैं और मेरी नानी थी। अदनान भाई ने कहा जाओ देखकर आओ कि तुम्हारी नानी क्या कर रही है, मैं देखने गयी व आकर बताया कि नानी खाना बना रही है व मैं वहीं बैठ गयी तभी अदनान गन्दी नियत से मेरे गाल, सीने पर हाथ लगाया व सुसु में अंगुली डाली थी। उसके बाद मैं अपनी नानी के पास चली गयी थी फिर मैंने सारी बात अपनी मम्मी को बतायी।

पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत **धारा 183 बीएनएसएस** में अपनी उम्र 8 वर्ष कथित करते हुए कथन किया है कि घटना को कुछ दिन हो गये है। समय रात का था, घर पर अंधेरा था, घर पर मेरी नानी थी, फिर अदनान भाई मेरी पेशाब वाली जगह पर हाथ लगाये थे, मेरे गाल पर नोचा था। फिर चले गये थे। जब ये हुआ तो मेरी मम्मी घर पर नहीं थी। मैंने तुरन्त अपनी नानी को बताया था। जब मेरी अम्मी आ गई तो अम्मी को बताया था। अदनान भाई और पहले भी ये कर चुके है।

पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की शैक्षिक दस्तावेज से उसकी जन्मतिथि 08.07.2018 है। पीड़िता घटना के समय 07 वर्ष 07 माह 18 दिन की अवयस्क अबोध बालिका है। यद्यपि मेडिकल में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री/पीड़िता उम्र 8 वर्ष से कम अबोध बालिका के साथ बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला कारित करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में अभियुक्त के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अदनान का **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अदनान द्वारा मु0अ0सं0– 104/2026, अन्तर्गत धारा–75(2), 65(2) बी0एन0एस0 व धारा– 5(एम)/6 पाक्सो ऐक्ट, थाना पुरवा, जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(शैलेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट
संख्या–12/पॉक्सो कोर्ट प्रथम, उन्नाव।
दि0–22.05.2026